न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 09/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

1.श्री अभिषेक पुत्र श्री अजय गोयल निवासी मोल बाजार, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर पुलिस थाना श्रीगंगानगर,

2. श्री नरपत सिंह रावत निवासी ग्राम केसरपुरा मांगलियावास पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर

3. श्री सुमेर कुमार आवार्य पुत्र श्री लूणाराम निवासी कोटडी, तहसील कालायत, जिला बीकानेर हाल ग्राम ककलाना पुलिस थाना नसीराबाद

4. श्री सिद्धार्थ शर्मा निवासी ग्राम ककलाना तहसील अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर

5. श्री प्रशांत शर्मा निवासी ग्राम ककलाना, तहसील अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर

............अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक– 19.11.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जोधपुर एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नं0 16495/2023 दिनांक 13.10.2023 के पालना में अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब रिकार्ड पर लिया जाने के सबंध में सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया। दिनांक 06.01.2023 श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय जांच दल द्वारा खसरा नंबर 271, ग्राम ककलाना तहसील अजमेर पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर परिसर की जांच में दो भूमिगत टेंकर प्रति टैकर 20–20 के एल क्षमता के एक डिस्पोन्सिग युनिट मय एक नोजल से जुडे पाये और डिस्पेन्सिग युनिट में 78 रूपये प्रति लीटर दर सेट करके पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। मौके पर श्री सुमेर कुमार पुत्र श्री लूणाराम से पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में दस्तावेज मांगे गये मांगे जाने पर श्री सुमेर ने दो बिल क्रमश बिल संख्या टी 318 दिनांक 28.12.2022 से 29810 के जी उपं बिल संख्या टी 313 दिनांक 27.12.2022 से 26760 के जी उत्पाद Mix Hydrovarbom Oil For Industral Oil Sue Only जरिए आपूर्ति कर्ता मैसर्स जय योगेश्वर पेट्रो केमिकल्स माल पर टा धोधा जिला भावनगर गुजरात से 45 रूपये प्रति किलो से खरीद करना दर्शाया है। श्री सुमेर कुमार से इस सबंध में जानकारी लेने पर इसने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ में केमिकल पाउडर मिलाकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ 78 रूपये प्रति लीटर की दर से कम मालिक श्री अभिषेक के कहे अनुसार वाहनो में ईधन के रूप में बिक्री करता हैं। मौके

जिला कलक्टर
अजमेर

पर फर्म के परिसर में एक बडा टैंकर ट्राली वाहनो में ईधन भरने में प्रयुक्त होने के उपकरण यथा जनरेटर इलेक्ट्रानिक मोटर विभिन्न आकार व मोटाई के प्लास्टिक पाईप कीप, माप ड्रम अप्रामाणित डिपसिंग डिजीटर इलेक्ट्रानिक नोजल युक्त मशीन एवं एक इलैक्ट्रोनिक करेसी काउटिंग मशीन व अन्य उपकरण पाये गये जिससे प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर समान्तर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है जिस पर वर्तमान बाजार दर 93 रूपये प्रति लीटर डीजल से कम कीमत 79 रूपये प्रति लीटर डीजल समकक्ष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का विकय किया जाना पाया गया हैं जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान एवं सुरक्षा मानको का उल्लंघन कर मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितियां निर्मित हो रखी है। वक्त मौका प्राप्त रिकार्ड व श्री सुमेर कुमार के बयान अनुसार श्री नरपत सिंह रावत निवासी केसरपुरा इससे अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ व व्यवसाय में लिप्त होना पाया गया। इस प्रकार मैसर्स अजय पेट्रोकेम फर्म एवं फर्म मालिक श्री अभिषेक गोयल मैनेजर सुमेर कुमार आचार्य एवं अन्य सबंधित श्री नरपत सिंह रावत, श्री सिदार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा द्वारा पेट्रोल एवं डीजल से भिन्न पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोल व डीजल के समकक्ष मिलावट कर निर्धारित पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यो के विरूद्ध काफी कम मूल्यो पर निजी लाभ हेतु विकय कर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। सबंधित का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघन हैं जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। प्रकरण में पुलिस थाना नसीराबाद सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है एवं पुलिस अनुसंधान जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टेंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घडी, बोल्ट मीटर एक, क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गियर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउंटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 06.01.2023 श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा प्रर्वतन निरीक्षक व अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 271, ग्राम ककलाना तहसील अजमेर पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी जिसमें मौके पर श्री सुमेर कुमार आचार्य पुत्र लूणाराम उम्र 26 साल उपस्थित मिला इन्होने स्वयं को मैसर्स अजय पेट्रोकेम का मैनेजर होना बताया है तथा श्री अभिषेक गोयल पुत्र श्री अजय गोयल निवासी मोल बाजार श्रीगंगानगर का मालिक होना बताया। स्थान का मालिक सिद्धार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा ककलाना होना बताया। मौके पर परिसर की जांच में दो भूमिगत टेंकर प्रति टैंकर 20–20 के.एल. क्षमता के एक डिस्पेन्सिग युनिट मय एक नोजल से जुडे पाये और डिस्पेन्सिग युनिट में 78 रूपये प्रति लीटर दर अंकित करके पेट्रोलियम पदार्थ की बिकी की जा रही थी। मौके पर श्री सुमेर कुमार पुत्र श्री लूणाराम से पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में दस्तावेज मांगे गये मांगे जाने पर श्री सुमेर ने दो बिल कमश बिल संख्या टी 318 दिनांक 28.12.2022 से 29810 के जी उपं बिल संख्या टी 313 दिनांक 27.12.2022 से 26760 के जी उत्पाद Mix Hydrovarbom Oil For Industral Oil Sue Only जरिए आपूर्तिकर्ता मैसर्स जय योगेश्वर पेट्रो केमिकल्स माल पर टा धोधा जिला भावनगर गुजरात से 45 रूपये प्रति किलो से खरीद करना दर्शाया है। टैंको में भरे पदार्थ को जुडे हुए नोजल मशीन से

जिला कलक्टर
अजमेर

निकालकर देखने व सूघने पर पेट्रोलियम पदार्थ के समकक्ष होना पाया जिसके संदर्भ में बी.पी.सी. एल के सेल्स अधिकारी द्वारा परीक्षण कर अवगत कराया कि यह मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ है इसका उपयोग वाहनो में इंजन के रूप में पेट्रोल डीजल के रूप में किया जा सकता है। मौके पर परिसर में मिलावट करने का केसरिया रंग का केमिकल पाउडर मात्रा लगभग 250 ग्राम पाया श्री सुमेर कुमार से इस सबंध में जानकारी लेने पर इसने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ में केमिकल पाउडर मिलाकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ 78 रूपये प्रति लीटर की दर से कम मालिक श्री अभिषेक के कहे अनुसार वाहनो में ईधन के रूप में बिक्री करता हूं। श्री सुमेर सिंह के पास मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय की तीन हिसाब पुस्तिकाऐं प्राप्त हुई जिसमें अंकित हिसाब विवरण अनुसार नियमित रूप से वाहनो में ईधन के रूप में बडे पैमाने पर अवैध रूप से बिक्री किया जाता है। मौके पर फर्म के परिसर में एक बडा टैंकर ट्रॉली वाहनो में ईंधन भरने में प्रयुक्त होने के उपकरण यथा जनरेटर इलेक्ट्रानिक मोटर विभिन्न आकार व मोटाई के प्लास्टिक पाईप कीप, माप ड्रम अप्रामाणित डिपसिंग डिजीटर इलेक्ट्रानिक नोजल युक्त मशीन एवं एक इलैक्ट्रोनिक करेंसी काउंटीग मशीन व अन्य उपकरण पाये गये जिससे प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर समान्तर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है जिस पर वर्तमान बाजार दर 93 रूपये प्रति लीटर डीजल से कम कीमत 78 रूपये प्रति लीटर डीजल समकक्ष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना पाया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान एवं सुरक्षा मानको का उल्लंघन कर मानवीय जीवन के लिए प्रबल दुर्घटनाकारक परिस्थितिया निर्मित हो रखी है। वक्त मौका पाये गये मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की निर्धारित प्रकिया अनुसार सैम्पलिग की गई एवं सेम्पल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाये गये। वक्त मौका अवैध पेट्रोलियम व्यवसाय पाये जाने पर अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रामीटर, चार पाने एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज एम्पीयर घडी व वोल्ट मीटर, एक क्वान्टेटीव इलेक्ट्रोनिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप, डिस्पेन्सिंग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने, एक इलेक्ट्रिक करेसी काउटिग मशीन व केमीकल वाउडर केसरिया रंग को फर्म मैनेजर श्री सुमेर कुमार से राज्यहित में कब्जेराज लिये जाकर हूबहु यथास्थिति मौके पर मौजुद जाप्ता पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय राज्य सरकार के अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में दिया गया। वक्त मौका प्राप्त रिकार्ड व श्री सुमेर कुमार के बयान अनुसार श्री नरपत सिह रावत निवासी केसरपुरा इससे अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ व व्यवसाय में लिप्त होना पाया गया। मौके पर श्री नरपत सिह रावत उपस्थित हुआ और मौके पर स्वयं का नाम जांच दायरे में आने की बात जानकर मौके से अपनी महिन्द्रा एक्स यू वी सफेद रंग आर.जे.01 यू. सी 5660 को लेकर जांच दल के पुलिस कांस्टेबल राजेन्द्र कानि 1059 को छिटक कर गेट तोडकर भाग गया । इस प्रकार मैसर्स अजय पेट्रोकेम फर्म एवं फर्म मालिक श्री अभिषेक गोयल मैनेजर सुमेर कुमार आचार्य एवं अन्य सबंधित श्री नपत सिह रावत, श्री सिद्धार्थ शर्मा/प्रशांत शर्मा द्वारा पेट्रोल एवं डीजल से भिन्न पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोल व डीजल के समकक्ष मिलावट कर निर्धारित पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यो के विरूद्ध काफी कम मूल्यो पर निजी लाभ हेतु विक्रय कर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। सबंधित का उक्त कृत्य मोटर सिप्रट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावंधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। प्रकरण में पुलिस थाना नसीराबाद सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है एवं पुलिस अनुसंधान जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा अवैध रूप से भण्डारित मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर एक बिना इंजन का चेचिस टेंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घडी, बोल्ट मीटर एक, क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप रिपोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न

जिला कलक्टर
अजमेर

लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रानिक करेसी काउटिग मशीन व केमीकल पाउडर केसररिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.11.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया। दिनांक 06.01. 2023 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा ककलाना तहसील व जिला अजमेर में स्थित अप्रार्थी की फर्म अजय पेट्रोकेम पर जाकर अविधिक रूप से अप्रार्थी की उक्त फर्म से 28,728 लीटर मिक्स हाईड्रो कार्बन ऑयल को जब्त किया था तथा उसके साथ में अप्रार्थी के स्वामित्व के अन्य सामान भी जब्त किये जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष झूंठे तथ्यों के आधार पर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के पास वैध लाईसेंस है तथा उक्त पेट्रोलियम के आयात व भण्डाकरण के लिए अनुज्ञप्ति है जो दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी है तथा उक्त लाईसेंस प्रार्थी को 48 हजार की क्षमता तक मिक्स हाईड्रो कार्बन ऑयल रखने का भण्डारन के लिए अनुमति प्राप्त है अनुमति के दस्तावेज फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी के पास उक्त फर्म में माल के भण्डारन का सम्बंधित विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा भी है। अप्रार्थी के पास कार्यालय श्रीमान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 12215/2011 दिनांक 10.08.2018 जिसमें उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश क्रमांक 430 दिनांक 30.06.2010 द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जा चुका है का भी प्रमाण पत्र जवाब के साथ सलग्न है। अप्रार्थी के पास जब्तशुदा माल का जीएसटी पेड बिल भी है, जिला रसद अधिकारी अजमेर को दिनांक 06.01.2023 को अप्रार्थी के मैनेजर सुमेर कुमार द्वारा उक्त समस्त दस्तावेज दिखाये परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी ने नजरअन्दाज कर झूंठा व द्वेषतावश गैर कानूनी रूप से 6 ए का परिवाद प्रस्तुत किया जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का परिवाद खारिज कर प्रकरण में जब्तशुदा माल व प्रार्थी के स्वामित्व के अन्य सामान को छोडने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बाद जाँच पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण एवं अवैध कारोबार कर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 व अन्य प्रवर्तित प्रावधानो जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय है। उक्त स्थल पर उल्लंघन पाया जाने पर मौके से पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728. 56 लीटर, एक बिना इंजन का चेचिस टेंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, बोल्टमीटर एक, क्वानटेटिव इलेक्ट्रानिक ओवल गीयर मीटर मय लोहे के पाईप स्पियोन्सिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंच पाने एवं एक इलेक्ट्रोनिक करेंसी काउटिंग मशीन व केमीकल पाउडर केसरिया रंग मौके से जब्ती की कार्यवाही की गई है। जिससे प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर समानान्तर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों का पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है। जिस पर वर्तमान बाजार दर से कम कीमत पर डीजल समकक्ष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना पाया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि के साथ पर्यावरण नुकसान एवं सुरक्षा मानको का उल्लंघन कर मानवीय जीवन के लिए प्रदत्त दुर्घटनाकारक परिस्थितियां निर्मित हो रखी है। इस प्रकरण में जो अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी, वह सशर्त थी तथा इस शर्त पर दी गई थी कि फर्म द्वारा इस स्थल पर रेड ऑक्साइड तथा थिनर की लघु औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। फर्म द्वारा उक्त कार्य नहीं करके इस लाइसेंस का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। साथ ही एक अवैध और समानान्तर पैट्रोल पम्प स्थापित कर ज्वलनशील तथा मिलावटी पैट्रोल पदार्थ की अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बिक्री कर सरकार को भारी

जिला कलक्टर
अजमेर

राजस्व हानि पहुँचायी। इस प्रकार अप्रार्थी के पास वैध लाईसेन्स होने का तथ्य असत्य सिद्ध होता है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान की रिपोर्ट नं. SFSL(JAI)/388/A&E/3/23 दिनांक 07.12.2023 से उक्त सैंपल ज्वलनशील पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के होना सिद्ध होता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। बरवक्त जांच जिला रसद अधिकारी अजमेर को अप्रार्थी का पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर उक्त स्थान से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार किया जाने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री पेट्रोलियम पदार्थ कुल मात्रा 28728.56 लीटर, एक बिना इंजन का चेसिस टैंकर, आठ लोहे के ड्रम, 5 लीटर पीतल का मापक, एक हाईड्रोमीटर, चार पाने, एक जनरेटर, दो इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप व पम्प, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय तीन फ्यूज, एम्पीयर घड़ी, वोल्टमीटर, एक क्वानटेटिव इलेक्ट्रोनिक ऑयल मीटर मय लोहे के पाईप सिलेण्डिग मशीन मय नोजल विभिन्न लम्बाई व आकार के पाईप, दो रिंग पाने एवं एक इलेक्ट्रोनिक करेंसी काउंटिंग मशीन व कमीकल पाउडर केसरिया रंग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात के आदेश दिये जाते है। जब्तशुदा 28728.56 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री जिला रसद अधिकारी अजमेर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करे निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.11.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर।